27. जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग आरक्षण नियमावली, 1970 के 5 भाग हैं। भाग 1 में 6 अध्याय है और नियम 3 में बताया गया है कि राज्य के जो स्थायी निवासी इन छः अध्यायों में बताए गए व्यक्तियों के वर्गों से संबन्ध रखते है, उन्हें नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग घोषित किया गया है। अध्याय (I) में उन व्यवसायों की सूची दी गई है, जो पारम्परिक व्यवसाय माने जाते है और नियम 4 में बताया गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका पारम्परिक व्यवसाय उसमें उल्लिखित 62 व्यवसायों में से कोई व्यवसाय है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति माना जाए। अध्याय (II) में 23 सामाजिक जातियां दी गई हैं और इन सामाजिक जातियों से संबन्धित व्यक्ति पिछड़े माने जाते है। अध्याय (III) में छोटे काश्तकारों को पिछड़ा बताया गया है। अध्याय (IV) में अल्प आय वाले पेंशन-भोगियों को पिछड़ा माना गया है। अध्याय (V) में युद्ध विराम रेखा के आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को पिछड़ा बताया गया है। अध्याय (VI) में राज्य में कुल क्षेत्रों को खराब बस्तियाँ'' विनिर्दिष्ट किया गया है और उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को पिछड़े वर्ग से संबन्धित माना गया है। हमारा इन नियमों के अन्य भागों से सीधा संबन्ध नहीं है। याचियों की ओर से श्री सेन ने इन नियमों के अधीन बताए गए अनेक प्रकार के पिछड़े वर्गों पर और उस खास तरीके पर भी आपत्ति की है, जिस तरीके से परिभाषाएं बनाई गई है।

28. अध्याय (I) में वह वर्ग बताया गया है, जो पारम्परिक व्यवसायों के आधार पर है। कुल मिलाकर लगभग 62 व्यवसायों को पारम्परिक व्यवसाय माना गया है। इनका उन वर्गों से निकट का संबन्ध है, जिन्हें समिति ने अपनी रिपोर्ट में परम्परागत व्यावसायिक वर्गों का नाम दिया है। पैरा 124 में, समिति का कहना है कि अन्य लोगों के पिछड़े वर्ग निश्चित करने की दृष्टि से 1961 की जनगणना रिपोर्ट में बताए गए प्रत्येक व्यावसायिक और औद्योगिक वर्ग के दावे को सावधानी से जांच की गई है और यह स्पष्ट है कि पारम्परिक व्यवसायों की सूची को यथासंभव व्यापक बनाया गया है। पारम्परिक व्यवसाय के आधार पर एक वर्ग सुनिश्चित किया जा सकता है। पारम्परिक व्यवसाय का अर्थ एक ऐसे परिवार में परम्परागत रूप में किए जाने वाले या धन्धे से है, जिसमें वह व्यवसाय या धन्धा पूर्वजों द्वारा अपनी सन्तान को सौंप दिया जाता है। यदि आबादी का कोई भाग ऐसा है, जो इस प्रकार के व्यवसाय को अपनाता है, तो उस भाग को एक वर्ग माना जा सकता है। इस प्रकार के व्यवसाय साधारणतया ऐसे व्यवसाय होते हैं, जिनमें विशेष कौशल की आवश्यकता होती हैं, जैसे कि शिल्पी या दस्तकार का व्यवसाय। श्री सेन का तर्क था हालांकि पारम्परिक व्यवसायों के रूप में 62 व्यवसायों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से अनेक व्यवसाय ऐसे है, जो वास्तव में परम्परागत नहीं है और जहां तक अन्य व्यवसायों की बात है, उनके बारे में इस

दृष्टि से गहराई से जांच पड़ताल नहीं की गई है कि वे पारम्परिक व्यवसाय है या नहीं। उनका यह भी तर्क है कि नियमों में दी गई ''पारम्परिक व्यवसाय'' की परिभाषा सारी स्थिति को अस्पष्ट बना देती है, क्योंकि आरक्षण की मांग करने वाले व्यक्ति का पिता चाहे परम्परागत व्यवसाय को अपनाए या नहीं, यदि उसके पितामह ने वह व्यवसाय किया है, तो वह उस वर्ग का हकदार माना जा सकता है।

29. इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सूची में बताए गए व्यवसायों में से ज्यादातर व्यवसायों को परम्परागत व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। लेकिन इनमें से कुछ व्यवसाय ऐसे अवश्य है जो परम्परागत व्यवसाय कहलाने के योग्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक खेतिहर मजदूर को लीजिए। हमें इस बारे में भारी संदेह है कि खेतिहर मजदूर को एक परम्परागत व्यवसाय माना जा सकता है। वह एक मौसमी व्यवसाय है और जैसा कि सभी को मालूम है, यह एक ऐसे भूमिहीन अकुशल श्रमिक की अन्तिम शरण है, जिसके पास ग्रामीण समाज में रोजगार का कोई और साधन नहीं होता। वास्तव में इस दृष्टि से यदि किसी पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए, तो वह खेतिहर मजदूर हीं है, परन्तु आपत्ति इस बात को लेकर है कि क्या इसे एक परम्परागत व्यवसाय माना जा सकता है। खेतिहर मजदूर, मात्र एक मजदूर है और जहां कहीं अकुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, इसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वस्तुतः यह हमाल और ऐसे समान व्यवसायों के योग्य होता है, जिनमें केवल शारीरिक शक्ति और काम करने की क्षमता की जरूरत होती है। इसी प्रकार, यह कहना भी कठिन होगा कि निम्नलिखित व्यवसाय परम्परागत व्यवसाय हैं:-

(5) बैरा, बॉय वेटर

(7) जिल्दसाज

(11) बावरची

(20) कसियारा

(21) हॉकर, फेरीवाला

(23) सामान ढोने वाला

(29) पुराने कपड़े बेचने वाला

(48) घड़ीसाज

(51) ग्रामीण क्षेत्रों के पंसारी

(53) ग्रामीण क्षेत्रों के दूध विक्रेता

(58) ग्रामीण क्षेत्रों के सब्जी विक्रेता

(62) तांगा चालक और जानवरों से चलने वाली अन्य गाड़ियों के चालक।

इन सभी व्यवसायों के लिए परम्परा से विकसित कुशलता की आवश्यकता नहीं होती और ऐसा कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता है, जिसके पास अपेक्षित साधन हो। आगे फिर क्रम संख्या 34 और 56 पर पुरोहिती वर्ग की एक श्रेणी आती है, जो हालांकि परम्परागत पेशा तो करते हैं, लेकिन जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग नहीं माना जा सकता। इसलिए हमारा विचार है कि परम्परागत व्यवसायों का समुचित पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि वे सही रूप में नियम 4 के अन्तर्गत आ सकें।

30. लेकिन वास्तविक आपत्ति तो नियम 2(1) में दी गई कृत्रिम परिभाषा को लेकर है। एक व्यक्ति के संबंध में ''परम्परागत व्यवसाय'' का अर्थ उसके जीवित या स्वर्गवासी पितामह का मुख्य व्यवसाय है और इसमें से नैमित्तिक व्यवसाय को शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग के सदस्य के रूप में विशेष लाभ उठाना चाहता है, तो उसके लिए इतना बतलाना काफी होगा कि उसके पितामह ने एक परम्परागत व्यवसाय अपना रखा था। हो सकता है कि उसके पिता ने वह परम्परागत व्यवसाय बिल्कुल हीं न किया हो। यह भी हो सकता है कि उसने कोई अन्य व्यवसाय या धंधा अपनाने के लिए हीं यह व्यवसाय छोड़ा हो। यह काफी नहीं है। दलील यह है कि पितामह ने एक परम्परागत व्यवसाय अपना रखा था, लेकिन वह व्यवसाय उसके पुत्र को भी करना चाहिए था, ताकि जिस समय पौत्र आरक्षण की सुविधा की मांग करे, उस समय तक वही व्यवसाय परिवार में चलता रहे और परिवार की जीविका का साधन बना रहे। इस दलील में काफी बल है। जो व्यक्ति अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अधीन विशेष व्यवहार की मांग कर रहा है, यदि उसका पिता कम आय वाला अपना व्यवसाय छोड़ देता है और एक व्यापारी या सरकारी कर्मचारी बन जाता है, तो उस व्यक्ति की मात्र इस आधार पर विशेष सुविधा प्रदान करना अनुचित होगा कि उसके पितामह ने एक परम्परागत व्यवसाय अपना रखा था। समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 129 में इसी तरह के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी थी। उसका विचार है:-

''पूर्ववर्ती व्यवस्था करते समय राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिले, जो उन वर्गों के वास्तव में सदस्य हों, जिन्हें पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है, झूठे दावेदारों को नहीं।'' जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राज्य को यह घोषणा करने की पूरी स्वतंत्रता है कि कम आय वाले ऐसे परिवारों के व्यक्तियों को, जिन्होंने कोई परम्परागत व्यवसाय अपना रखा है उस स्थिति में पिछड़े वर्ग का व्यक्ति

माना जाऐ, जबकि कुल मिलाकर वह वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। लेकिन यह भी उतना हीं आवश्यक है कि जिस समय उक्त वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष व्यवहार की मांग करे, उस समय भी उसके परिवार ने वही परम्परागत व्यवसाय अपना रखा हो। चूंकि इस नियम से यह बात पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होती, इसलिए इसका दुरुपयोग किए जाने की संभावना है और वास्तव में जिस व्यक्ति की सुविधा के लिए यह नियम बनाया गया है, उसे यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए पारम्परिक व्यवसाय से संबंधित नियम को समूचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

31. अध्याय (II) में सामाजिक दृष्टि से नीची कोई 23 जातियों के संबंध में विचार किया गया है। समिति ने अध्याय (XIII) में इनमें से पहली 19 जातियां सुनिश्चित की है और कहा है कि इन जातियों को समाज में निम्नतर जातियां समझा जाता है, क्योंकि ये जातियां जिस प्रकार के कार्य करती हैं, उन्हें गन्दा माना जाता है। इन्हें सामाजिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है और शैक्षिक तथा आर्थिक, दोनों ही दृष्टियों से ये घोर पिछड़ी जातियां हैं। नियम 5 में बताई गई अंतिम चार जातियों का रिपोर्ट के अध्याय (XIII) में उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी पता नहीं चलता कि इन्हें किस आधार पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। यह हो सकता है कि राज्य सरकार के पास ऐसा करने के पर्याप्त कारण रहे हों, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है। इसलिए, जैसा कि इस समय उचित समझा गया है, हम इस आधार पर आगे विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि क्रम संख्या 20 से 23 तक की जातियां पिछड़े वर्गो में आती है।

32. अध्याय (III) में थोड़ी जोत वाले काश्तकारों को पिछड़ा वर्ग माना गया है। जोत की सीमाएं, जिस जमीन पर काश्त की जाती है, उस जमीन की किस्म और जिस क्षेत्र में वह जमीन आती है, उस क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हैं। काश्तकार, स्वामी भी हो सकता है और अभिधारी भी। यहां तक कि वह गैर- काश्तकार भी हो सकता है, बशर्ते कि वह अपने जीवन-यापन के लिए पूरी तरह से भूमि पर निर्भर करता हो। काश्तकार को, समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के अध्याय (XII) में की गई सिफारिशों के आधार पर एक वर्ग माना गया है। समिति ने इसके जो कारण बताएं है, उनसे पता चलता है कि इसमें प्रधान रूप से आर्थिक पहलू को ध्यान में रखा गया है। जैसा कि पहले विचार व्यक्त किया गया है, एक वर्ग, ऐसे लोगों का एक सजातीय सामाजिक प्रवर्ग होता है, जिनकी विशेषताएं समान होती हैं और जिसे उनके सामान्य गुणों से पहचाना जाता है। काश्तकारों के विषय में कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये ऐसे लोग हैं, जो जमीन पर काश्त करते हैं या जमीन के सहारे जीते हैं और मात्र यह संयोग हीं उन्हें एक वर्ग बना देता है कि उनके पास एक निश्चित सीमा से

कम जमीन है। ऐसी स्थिति में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की सुसंगति गौण हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि कश्मीर घाटी में, एक काश्तकार के लिए उच्चतम सीमा सिंचित भूमि की 10 कनाल है। यदि किसी काश्तकार के पास 10 कनाल या इससे कम भूमि है, तो उसे पिछड़ा अर्थात् सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाएगा। लेकिन यदि उसी गांव में रहने वाले उसके भाई के पास उच्चतम सीमा से आधा कनाल भूमि अधिक है, तो उसे पिछड़ा नहीं माना जाएगा। इससे सारी स्थिति एकदम अस्पष्ट हो जाती है। यह कहना बहुत कठिन होगा कि यदि एक व्यक्ति के पास 10 कनाल भूमि है, तो उसे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाए, जबकि आधा कनाल अधिक जमीन रखने वाले उसके भाई को पिछड़ा न माना जाए। ऐसे मामले में गलती आर्थिक पक्ष को उन पक्षों से अधिक महत्व देने में हैं, जिनसे पता चलता है कि कोई विशिष्ट वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है या नहीं। अध्याय (IV) में भी यही गलती दौहराई गई है, जहां एक पेंशनभोगी व्यक्ति के आश्रित को उस स्थिति में पिछड़े वर्ग का माना जाएगा, जबकि ऐसा पेंशनभोगी व्यक्ति परिशिष्ट (I) में उल्लिखित कुछ सरकारी पदों से सेवा-निवृत्त हुआ हो और जबकि इन पदों का अधिकतम वेतनमान 100 रु. प्रतिमाह से अधिक न रहा हो। इनमें सिपाही, नायक,हवलदार आदि रैंक के रक्षा सेवाओं के कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। यह भी समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका अध्याय (IX) में कहा है कि ''अन्य लोगों के साथ-साथ पेंशनभोगी व्यक्तियों के प्रतिनिधि भी समिति से मिले और उन्होंने वे कठिनाइयां बताई, जिनका सामना उन्हें पेंशन से अल्प आय के कारण करना पड़ता है। अभ्यावेदकों की दलील थी कि वे हमेशा बढ़ते रहने वाले मूल्यों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पेंशन की दरें स्थिर बनी रही हैं और उन्हें बढ़ाया नहीं गया है, जैसा कि नियमित सेवा के सरकारी कर्मचारियों के मामले में समय-समय पर किया जाता है। यह भी दलील दी गई कि वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी इस थोड़ी सी आमदनी में से कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं।'' समिति ने महसूस किया कि ये पेंशनभोगी इन आधारों पर पिछड़े वर्गों के रूप में माने जाने के पात्र हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग चतुर्थ श्रेणी के या इसी प्रकार के पदों पर रहे थे। इस वर्ग में जो भूतपूर्व सैनिक आते हैं, उनकी संख्या लगभग 90,000 है और सिविल पदों के पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 15,000 है। यह कहना मुश्किल है कि ये पेंशनभोगी इस अर्थ में एक वर्ग हैं कि ये एक सजाती वर्ग के हैं वे ऐसे सरकारी कर्मचारियों का अव्यवस्थित प्रवर्ग हैं, जो सेवा निवृत्ति के समय 100 रु. या इससे कम वेतन पाने के संयोग से या कुछ ग्रेड़ों में भूतपूर्व सैनिक होने के कारण एक कृत्रिम निकाय में आ जाते हैं। यह हो सकता है कि वे चतुर्थ श्रेणी या ऐसे ही ग्रेड की राज्य सेवा के सदस्य रहे हैं। परन्तु यह उनके सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन की कसौटी नहीं है। जिन दिनों रोजगार के साधन बहुत कम थे, अनेक लोगों ने सामाजिक दृष्टि से उन्नत होते हुए भी कम वेतन वाले कार्य स्वीकार कर लिए होंगे। उनमें से कुछ लोग शैक्षिक स्तर बनाने में असफल रहे और इसलिए आवश्यकता के कारण ये ऐसे अल्प वेतन वाले कार्यों को स्वीकार करने के लिए

बाध्य हो गए। कुछ अन्य लोग शायद उपर्युक्त वेतनमान वाले पदों से समय- पूर्व सेवा निवृत्त हो गए। इसलिए यह संयोग कि वे एक निश्चित श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के वर्ग में आते है, उनके सामाजिक पिछड़ेपन के कसौटी नहीं हैं। यदि ऐसे पेंशनभोगी व्यक्ति के भाई की स्थिति पर विचार किया जाए, तो वह कसौटी छिन्न-भिन्न हो जाती है। यदि भाई, जो स्वयं एक सरकारी कर्मचारी था, दुर्भाग्य से उस समय सेवा निवृत्त होता है, जबकि वह ऐसे पद पर नियुक्त था, जिसका अधिकतम वेतनमान 105 रु. था, तब उसे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाने की संभावना नही थी, जबकि जहां तक दोनों भाइयों का संबंध है वे हर दृष्टि से एक हीं सामाजिक स्तर के रहते हैं। एक अन्य भाई जो प्राइवेट नौकरी में है और बगैर किसी पेंशनी सुविधा के सेवा निवृत्त हो जाता है, इस कसौटी के अधीन पिछड़ा वर्गीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। यह असंगति समिति द्वारा बनाए गए वर्ग के कृत्रिम स्वरूप के कारण है। यदि सभी भाई सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो आप उनमें से कुछ को ज्यादा पिछड़ा हुआ और दूसरों को कम पिछड़ा हुआ कहकर उनमें भेद करेंगे, जो एक ऐसी बात है, जिसकी बालाजी का मामला, 1963 अनुपूरक (1) एस.सी.आर. 439-4 (ए.आई.आर 1963 एस.सी. 649) इजाजत नहीं देता। इसलिए श्री सेन के इस तर्क में सार है कि समिति ने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग निश्चित करने के बजाय, संविधान के अन्तर्गत कुछ सुविधाएं देने के प्रयोजन से ''काश्तकार'' और ''पेंशनभोगी व्यक्ति'' के दो कृत्रिम ग्रुप बना दिए हैं।

33. नियमावली के अध्याय (V) और (VI) में कतिपय क्षेत्रों के निवासियों को पिछड़ा बताया गया है। अध्याय (V) के परिशिष्ट (II) में उल्लिखित कुछ गाँवों के निवासियों को पिछड़ा माना गया है। ये गाँव युद्धविराम रेखा से 5 मील की दूरी के अन्दर है। अध्याय (VI) में राज्य के कुछ क्षेत्रों को ''खराब बस्तियां'' माना गया है और इन क्षेत्रों के सारे निवासियों को पिछड़ा हुआ बताया गया है। इन दोनों अध्यायों में समिति द्वारा रिपोर्ट के क्रमशः अध्याय (X) और (IX) में की गई सिफारिशों को समाविष्ट किया गया है। अध्याय (IX) ''खराब बस्तियों '' से संबंधित है। समिति ने ऐसी 10 खराब बस्तियां निश्चित की है और इनके अन्तर्गत अन्दर बहुत दूर के कुछ जिलों और तहसीलों के 696 गांव आते है। 1961 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों की आबादी लगभग तीन लाख थी। समिति की रिपोर्ट इस प्रकार है:-

''यहां उदाहरण के लिए कुछ प्रसिद्ध बल्कि कुख्यात पिछड़े इलाके हैं, जिनके साथ राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में अलग व्यवहार करना आवश्यक है कुछ दूसरे इलाके भी हैं, जो कठिन भूभाग होगें वहां तक पहुंच न होने और वाहन संबंधी संचार साधनों के अभाव के कारण अभी भी अपना दिग स्वरूप बनाए हुए हैं। इनके अलावा भी कुछ और इलाके बने रहते हैं जिन्हें वहीं की मिट्टी

पथरीली और रेतीली होने और सिंचाई की सुविधाएं कम और अपर्याप्त होने के कारण बहुत कम पैदावार की समस्या का सामना करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां विद्युत शक्ति उपलब्ध न होने के कारण कुटीर उद्योग के पैमाने पर भी औद्योगिक विकास शुरू नहीं हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ये सारी या इनमें से कुछ विशेषताएं मिलती हैं।"

उस समय ऐसी दस बस्तियों की विस्तार से परीक्षा की गई थी और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संचार साधनों की कमी, पहुंच का अभाव, भौतिक साधनों की कमी और ऐसे हीं अन्य कारणों की वजह से इन क्षेत्रों के निवासी प्रायः आदिम अवस्थाओं में रह रहे है और वे सभी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए है। आधुनिक जीवन की सभ्यता का प्रभाव अभी उन तक नहीं पहुंचा है। इन क्षेत्रों का निर्धारण सावधानी से किया गया है। ये अगम्य पर्वतों के एकान्त स्थानों में बसे हुए हैं, जिन्होंने इनके निवासियों को उनकी एकदम आदिम अवस्था में बने रहने पर मजबूर किया है। इनकी आबादी जम्मू और कश्मीर की कुल आबादी की लगभग 8 प्रतिशत है और हमारी राय में, इन क्षेत्रों के निवासियों को पिछड़ा हुआ मानने पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। यही बात युद्धविराम रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के मामले में भी लागू होती है। इनके अन्तर्गत लगभग 179 गांव आते है, जिनकी आबादी लगभग एक लाख है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 25 वर्षों से युद्धविराम रेखा के पास रहने के कारण पैदा हुई कठिनाईयों ने इस क्षेत्र को जीवन की मुख्य धारा से अलग-थलग करने में योगदान किया है। समिति ने देखा कि इन क्षेत्रों में जीवन-यापन की परिस्थितियों में अन्तर्निहित कठिनाईयों ने निरापद रूप से इन क्षेत्रों के निवासियों को आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की अवस्था में रहने पर बाध्य किया है। उनके स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर पाबंदियां लगी हुई है। और उन्हें सूरज छिपने के बाद अपने घरों में बन्द रहना पड़ता है। यहां के पुरुष सदस्य अपनी जीविका कमाने के लिए इस डर से अपने गांव छोड़ कर कहीं और नहीं जा सकते कि उनके बीवी-बच्चे पीछे असुरक्षित रह जायेंगे। यहां की जमीन अनुपजाऊ है। जमीन में इस वजह से कोई निवेश नहीं किया जा सकता कि यह युद्ध-विराम रेखा के नजदीक है। छापामारी के साथ-साथ पशुओं को उठा ले जाना और सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना यहा साधारण बातें हैं। कभी-कभी जानें भी चली जाती हैं। यहां के निवासियों के लिए अपनी परम्परागत कला और दस्तकारी का काम कर पाना भी उतना ही कठिन है। जहां तक सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का संबंध है, इन सभी सहयोगी घटकों के प्रभाव से ये क्षेत्र राज्य के बाकी हिस्सों से काफी पिछड़े रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समिति ने इस बारे में विशेष कारण बताए हैं कि उसने इन क्षेत्रों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र क्यों समझा है और चूंकि यह वर्गीकरण भाव-जन्मस्थान के आधार पर नहीं किया गया है, इसलिए हम नहीं समझते कि खराब बस्तियां और युद्ध-विराम क्षेत्रों के निवासियों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए मानने के बारे में कोई बड़ी आपत्ति होगी। लेकिन नियम 10 और 12 इस प्रकार तैयार किए गए

है कि झूठे दावेदार इस सुविधा का दुरुपयोग कर सकते है। आरक्षण की सुविधा चाहने वाले किसी व्यक्ति को इन क्षेत्रों का रहने वाला केवल तभी माना जाएगा, जबकि उसका पिता उस वर्ष के जिसमें पिछड़ेपन का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है, पूर्ववर्ती 20 वर्षों की अवधि में कम-से-कम 10 वर्ष की अवधि तक उस क्षेत्र में रहा है या दस वर्ष से रह रहा है। नियम इस बात पर जोर नहीं देते कि जिस समय इस सुविधा की मांग की गई हो उस समय या तो पिता या फिर पुत्र उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। न हीं यह इस बात की अपेक्षा करता है कि पुत्र ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा इन क्षेत्रों में प्राप्त की हो, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह स्वयं और उसका पिता उन क्षेत्र के स्थायी निवासी है। बाहर से आया ऐसा कोई भी व्यापारी या सरकारी कर्मचारी, जो इस सुविधा की मांग किए जाने की तारीख से पहले के 20 वर्षों में लगभग 10 वर्षो तक इन क्षेत्रों का निवासी रहा है पिछड़े वर्ग से संबंधित होने का हकदार होगा। यह सुविधा इन क्षेत्रों के निवासियों को हीं मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को नियमों में ऐसे पर्याप्त उपाय करने चाहिए ताकि केवल असली निवासियों को हीं विशेष आरक्षण का लाभ मिल सके, बाहर से आए लोगो को नही। वर्तमान नियमों के अनुसार या तो बाहर से आए व्यक्ति हीं इस सुविधा की मांग कर सकेंगे जिन्हें अपने व्यापार या कारोबार के सिलसिले में पिछले 20 वर्षो में से 10 वर्ष तक इन क्षेत्रों में रहना पड़ गया है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक किसी व्यक्ति के पिछड़ेपन के बारे में तहसीलदार का प्रमाणपत्र पेश किए जाने का कोई लाभ नहीं होगा।

34. ऊपर हमने उन नियमों में मौजूद कमियां बतलाई हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के कुछ निवासियों को पिछड़ा हुआ बताना है। जब तक इन व्यक्तियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक इन नियमों का प्रवर्तन संभव नहीं होगा।

35. उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किए गए चयन को रद्द कर देना होगा।